

हिमाचल भवन,सदन, नई दिल्ली,हिमाचल भवन चण्डीगढ़, पीटरहाफ,शिमला व हि0 प्र0 लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह, छोटा शिमला में कमरों के आरक्षण हेतु प्रपत्र ।

1.	नाम	
2.	क्या सरकारी अधिकारी/कर्मचारी है।	
3.	पदनाम	
4.	यदि सरकारी कर्मचारी नहीं तो, नाम व पता	
5.	विभाग	
6.	काम का कारण	सरकारी / गैर सरकारी / निजी
7.	ठहरने का स्थान	1-हिमाचल भवन, नई दिल्ली 2-हिमाचल सदन, नई दिल्ली 3-हिमाचल भवन, चण्डीगढ़ 4-पीटरहाफ,शिमला-4 5-लोक निर्माण विभाग विश्राम गृह हि0 प्र0 शिमला-2
8.	ठहरने की अवधि	कब से कब तक दिनों की संख्या :
	तिथि	हस्ताक्षर नाम व पता : सम्पर्क नम्बर :

मुझे निम्न शर्तें मंजूर हैं:-

1. आरक्षण कमरों की उपलब्धता पर निर्भर है।
2. आरक्षणदाता द्वारा जारी आरक्षण बिना कारण बताये जनहित में किसी भी समय रद्द किया जा सकता है।
3. आरक्षण का प्रतिवेदन मांगे गए आरक्षण से एक दिन पहले तथा किसी भी स्थिति में उस दिन 12 बजे मध्याह्न के बाद नहीं, मान्य होंगे। तत्पश्चात कोई भी आवेदन मान्य नहीं होगा।
4. आरक्षण एक समय में दो दिन से अधिक न हो। यदि आरक्षण एक दिन से अधिक हो उसे प्रथम दिन किसी भी स्थिति में 11.00 बजे पूर्वान् आरक्षण गृहण करना होगा अन्यथा दूसरे दिनों के लिए स्वीकृत आरक्षण स्वतः की समाप्त हो जाएगा।
5. केवल वही व्यक्ति, जिसके नाम परमित जारी किया गया है या आरक्षण किया गया हो वही व्यक्ति आरक्षण पर ठहरने का पात्र है तथा आरक्षण अनन्तरणीय हैं।
6. सामान्यतः किसी भी अधिकारी अथवा कर्मचारी को केवल एक ही कमरा उपलब्ध करवाया जाएगा तथा वह भी कमरों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

संस्तुतिअधिकारी/प्राधिकारी  
के हस्ताक्षर मोहर सहित